रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
~~लखनऊ क्रिश्चियन कालेज~~

लखनऊ ।

पत्रांक : मा0 शि0 प0/मान्यता(ह)/ 125 इलाहाबाद : दिनांक 12-4-02

विषय : सीधे/हाई स्कूल नवीन की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

शासन ने राजाज्ञा संख्या ई0एम0-1037/15-7-4(616)/2001 दिनांक 15 सितम्बर 2001 द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 9(4) के अन्तर्गत आपकी संस्था ~~लखनऊ क्रिश्चियन कालेज लखनऊ~~ । को इण्टरमीडिएट शिक्षा संशोधन अधिनियम 1987 की धारा 7 क (क) के प्राविधानों को प्रबन्ध तंत्र द्वारा बिना शर्त अंगीकार करने की दशा में बालक/~~बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद् की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2003 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (अनटाइम) वित्त विहीन मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित दिये जाने का आदेश प्रदान किया है :–

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) प्रबन्ध तंत्र कक्षा–9 की कक्षायें संचालित करने के पूर्व प्रधानाचार्य योग्यता; शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जा; शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला; भवन; पुस्तकालय; प्रांगण, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्ध की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें ।

(2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को उसी कक्षा संचालित करने की विधिवत लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय, अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी ।

(3) साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय ।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने स्रोतों से व्यवस्था के लिए संस्था उत्तरदायी होगी ।

(5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था संस्था द्वारा अपने स्रोतों से की जाय ।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे ।

[कृ0 प0 उ0

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय की प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी।

(ख) विद्यालय में कक्षा 9 व 10 के अतिरिक्त यदि अन्य कक्षायें संचालित की जाती है तो वे अमान्य होंगी तथा वह हाईस्कूल का भाग नहीं होंगी।

(ग) सदर्भित मान्यता को वित्त विहीन अंगीकार करने के सम्बन्ध में प्रबन्धतंत्र का पारित प्रस्ताव निरीक्षक के माध्यम से भेजें।

(घ) प्राइमरी/जूनियर स्तर की मान्यता के सम्बन्ध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का प्रमाण भेजें।

(ङ) अनुमोदित प्रशाला योजना की प्रमाणित प्रति निरीक्षक के माध्यम से भेजें।

एक वर्ष

टिप्पणी---इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति ~~____~~ माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन सं0: म0 शि0 प0 मान्यता (इ) दिनांक 12/5/2002

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ।

2—मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ।

3—हाई स्कूल परीक्षा अनुभाग माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

4—सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

पी0 एस0 यू0 पी0—121 मा0 शि0 प0—6-9-2000—10,000 (जाब)।